

## माता/पिता और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

(काउन्सलिंग/अन्तिम चयन के समय आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

मैं .....पुत्र/पुत्री.....घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ) के कक्षा 6 में प्रवेश पूर्व परीक्षा सत्र 2023-24 से सम्बंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है, भविष्य में प्रदत्त तथ्यों में कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी एवं मैं विभाग द्वारा छात्र/छात्रा के लिए विद्यालय को पुनर्भरण की गई समस्त राशि विभाग को वापस जमा कराने के लिए बाध्य रहूंगा।
3. पूर्व में मेरे एक से अधिक पुत्र-पुत्री/भाई-बहन ने इस योजना के अंतर्गत न तो अध्ययन किया है और न ही वर्तमान में एक से अधिक अध्ययनरत है।
4. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट <https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/scholarship/1homePage.aspx> से ही डाउनलोड करूंगा/करूंगी।
5. संस्था में प्रवेश के समय मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन किये जाने पर यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं का होगी। ऐसे में मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
6. मैं इस तथ्य से भलीभाँति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का परीक्षा से पूर्व कोई सत्यापन नहीं किया गया है अतः मैं समस्त वांछित मूल दस्तावेज प्रवेश के समय आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय-माध्यमिक) कार्यालय से प्रमाणीकरण करवाने के पश्चात प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा/दुँगी।
7. आवंटित संस्था में प्रवेश के समय:- 1. सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी राजस्थान के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की प्रति 2. सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति 3. छात्र-छात्रा की कक्षा 5 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र 4. माता-पिता का आय प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट-1) 5. माता-पिता का दो से अधिक संतान योजनांतर्गत लाभान्वित न होने का स्वघोषणा पत्र (परिशिष्ट-2) 6. कक्षा 5 उत्तीर्ण करने की ऑनलाईन प्राप्त टी.सी. आदि उक्त दस्तावेज आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा/दुँगी। अन्यथा मेरा प्रवेश निरस्त समझा जाए।
8. आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर मेरी प्रवेश पात्रता स्वतः रद्द समझी जावेगी। ऐसे में मैं किसी प्रकार की पुनर्भरण राशि लौटाने का दावा करने का हकदार नहीं रहूंगा।

दिनांक:- .....

माता/पिता के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर